न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र नाथ मित्थल

—शैलेन्द्र शंकर कुलश्रेष्ठ

[इस लेख के लेखक श्री शैलेन्द्र शंकर कुलश्रेष्ठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान निबन्धक होने के साथ-साथ इटावा हिन्दी सेवा निधि की गतिविधियों से निधि के जन्म से ही जुड़े हुये हैं। इटावा से अपने न्यायिक जीवन का श्री गणेश करने वाले श्री कुलश्रेष्ठ ने हिन्दी भक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र नाथ मित्थल पर उक्त लेख लिख कर हमें गौरवांवित किया है

—सम्पादक]

न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र नाथ मित्थल का जन्म रामनवमी के दिन, 6 अप्रैल, 1930 को मेरठ जनपद के एक सम्भ्रान्त प्रतिष्ठित वकील परिवार में हुआ था। उनके पिता बाबू बद्रीनाथ मित्थल मेरठ जनपद न्यायालय के ख्याति प्राप्त अधिवक्ता थे। मित्थल परिवार वकील व्यवसाय के साथ-साथ मेरठ व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अनेक शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा था।

न्यायमूर्ति श्री मित्थल ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपने अग्रज बाबू रघुवर दयाल मित्थल जी के संसर्ग में मेरठ जनपद न्यायालय में दीवानी की वकालत का श्री गणेश किया और जल्द ही विधि पर पैनी पकड़ के आधार पर दीवानी के प्रतिष्ठित अधिवक्ता के रूप में अपना स्थान बनाया। उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 1971 में उन्हें अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) के पदपर नियुक्त किया। वर्ष 1973 में उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन एवं योग्यता के आधार पर मेरठ जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) के पद का दायित्व संभाला। जनपद न्यायालय से सीधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर सुशोभित होने वाले श्री मित्थल गिने चुने अधिवक्ताओं में एक थे, उनके विधिक व्यक्तित्व को परखते हुए दिनांक 14.12.1978 को भारत के राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न्यायाधीश नियुक्त किया। उन्होंने 13 वर्ष से कुछ अधिक समय तक न्यायाधीश के पद की गरिमा पूर्ण ढंग से सुशोभित किया और अप्रैल 1992 में सेवानिवृत्त हुए।

वह अपनी प्रतिमा एवं नम्र भाव के कारण उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अत्याधिक लोकप्रिय न्यायाधीशों में अपना स्थान बनाये थे। न्यायमूर्ति श्री मित्थल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वह 7 अप्रैल, 1996 को अपनी 66 वर्षीय आयु पूर्ण कर दुनिया से चले गये।

न्यायमूर्ति श्री मित्थल 'हिन्दी भाषा' के प्रति अत्यधिक समर्पित व्यक्ति थे, उन्हें हिन्दी से बहुत प्रेम था, किन्तु इस बात को सदैव उनके मन में वेदना रहती थी कि वह न्यायिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग अपने आदेशों/निर्णयों में नहीं कर सके। उन्होंने अपनी सेवा निवृत्ति के समय हिन्दी भाषा में दिए गए व्याख्यान में अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करते हुए उन्होंने यह सार्वजनिक रूप से घोषित किया था कि वह अपने जीवन के बाकी समय में 'राष्ट्रभाषा हिन्दी' को स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और उनका यह मानना था कि बिना निज भाषा के राष्ट्र की कल्पना सम्भव नहीं है।